न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11 / 2022 (राजसमन्दआर्डर)

1. श्रीमती लेहरीबाई पुत्री किशनसिंह जी खरवड़ राजपूत पत्नी चुनसिंह जी उँठड राजपूत, निवासी कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द हाल निवासी सरकेला की भागल फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
2. श्रीमती झुमाबाई पुत्री किशनसिंह जी खरवड़ राजपूत पत्नी भंवरसिंह जी सिंदल राजपूत, निवासी कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द हाल निवासी सिंदलों की भागल गुडला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवरसिंह पिता किशनसिंह जी खरवड़ राजपूत, निवासी कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवीसिंह पिता किशनसिंह जी खरवड़ राजपूत, निवासी कानादेव का गुड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती कल्पना कुंवर पत्नी मुकेश सिंह परमार राजपूत, निवासी खारवा की भागल फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारी,राजसमन्ददिनांक 29—04—2022 प्रकरणसंख्या68 / 2020

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1—श्री प्रवीण मण्डोवरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2—श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

———::———

निर्णयदिनांक01—08—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम कानादेव का गुड़ा में स्थित आराजी नंबर 92, 147, 150 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नंबर 32, [illegible]76, 110 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

6 बिस्वा, आराजी नंबर 74, 86 कुल किता 2 रकबा 15 बिस्वा एवं आराजी नंबर 115, 116, 117 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी होकर किशनसिंह जी संतान हैं एवं सभी का समान हक अधिकार निहित है, किन्तु किशनसिंह की मृत्यु पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 18–03–1983 में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया, केवल विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया गया, जो प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात है। उक्त भूमियां पूर्व में राजस्व कर्मचारियों की गलत से प्रार्थीगण के बड़े पिता सुडा जी के नाम दर्ज हो गयी थी, जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 ने वाद सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किया, जिसके वाद संख्या 24/1982 होकर दिनांक 06–09–1983 को निर्णय पारित किया गया तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04–05–1988 को पारित की गयी, जिसमें भी उक्त भूमि को पुश्तैनी माना गया है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का दानपत्र विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित कर 21–10–2019 को पंजीकृत करा दिया, जिससे विपक्षी संख्या 3 का नाम नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 14–09–2020 से अंकित हो गया। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने व किस्म परिवर्तन करने की धमकी देते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमियों को रहन, विक्रय, बक्षीस आदि किसी भी तरीके से अन्तरित नहीं करें, भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करें न ही खुर्द–बुर्द करें।

विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/1982 में निर्णय पारित करते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में डिक्री जारी की गयी है तथा विपक्षी संख्या 1 इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री को चुनौती नहीं दी गयी है, इस कारण उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि का कुछ हिस्सा विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र से निष्पादित कर दियाहै, जिसको शून्य एवं अवैध घोषित कराये बगैर कानूननयह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 29–04–2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्धहोकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–08–2022 को प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Chandra Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को जाने समझे बिना ही आनन–फानन में निर्णय पारित कर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्रियों का हक जन्म से माना है, जिसे दरकिनार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 999 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस नहीं माना है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को सम्पत्ति अधिनस्थ न्यायालय की डिक्री से प्राप्त हुई है, जिसे अपीलान्टगण ने आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने कुछ भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 को गिफ्ट भी की है, जिसे भी अपीलान्टगण ने चैलेन्ज नहीं किया है। रजिस्टर्ड गिफ्ट को सिविल न्यायालय से ही निरस्त कराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सहायक कलक्टर राजसमन्द के प्रकरण संख्या 24/1982 निर्णय दिनांक 06–09–1983 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की मौरूसी सम्पत्ति है, जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त आराजियात में अपीलान्ट/प्रार्थी[illegible] हक हिस्सा है अथवा नहीं, इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार [illegible] ही होगा, किन्तु यह स्वीकृत तथ्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

कि अपीलान्टगण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की सगी बहनें होकर सभी किशनसिंह जी की संताने हैं, लेकिन विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा यदि भूमि का अन्यत्र विक्रय कर दिया जाता है या भूमि को खुर्द–बुर्द किया जाता है तो मौके पर और अधिक विवाद होने की संभावना है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति नहीं मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट नहीं होने से अपास्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–04–2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 01–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested